

- आदेश -


उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। तथा दुरुस्ती हेतु लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्रज दुरुस्ती परस्पर सहमति से दिये जाने हेतु प्रार्थना में प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्रज दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः लिखित इन्द्रज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-


पूर्व इन्द्रज					स्वीकृत किये गया इन्द्रज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राप्त का क्रम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (घ.मी.)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
378	12	श्री. राजेश कुमार शर्मा श्री. राजेश कुमार शर्मा श्री. राजेश कुमार शर्मा श्री. राजेश कुमार शर्मा	1299 200	4.18	श्री. राजेश कुमार शर्मा श्री. राजेश कुमार शर्मा श्री. राजेश कुमार शर्मा श्री. राजेश कुमार शर्मा	200 200	4.18

क्रमांक :- 378
20.10.21

प्रतिबन्धि नालानार्थ :-

उप तहसीलदार, मौलासर


 सिविल प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डवाना)
 20/10/2021, प.स. मौलासर
 दिनांक :-


 सिविल प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिबन्धि नालानार्थ :-

उपरोक्त इत्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्गतनुसार प्रस्ताव चुनिनेकत करें।

उप तहसीलदार, मौलासर